

राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

[dirminority@gmail.com](mailto:dirminority@gmail.com)

दूरभाष नं.0141-2711978, 2711938

प.111/नि.अ.मा.वि./अनु.छात्रा./सत्र 2018-19/पार्ट

जयपुर, दिनांक:

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,  
अल्पसंख्यक मामलात विभाग,  
अजमेर/अलवर/बारां/बाड़मेर/बीकानेर/भरतपुर/दौसा/  
श्री गंगानगर/सवाईमाधोपुर/जैसलमेर/नागौर/  
हनुमानगढ़/जयपुर/जोधपुर/कोटा/प्रतापगढ़।

विषय:- सत्र 2018-19 की अवधि में स्वीकृत अनुदानित एवं राजकीय छात्रावासों के संचालन बाबत।

संदर्भ:- निदेशालय का आदेश 10406 दिनांक 26.06.2018 एवं पत्रांक 13099  
दिनांक 06.07.2018 तथा 14613 दिनांक 08.08.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय के स्वीकृति आदेश दिनांक 26.06.2018 एवं बाद स्मरण पत्र दिनांक 06.07.2018 एवं दिनांक 08.08.2018 का अवलोकन करने की जहमत उठाये।

निदेशालय द्वारा जारी स्वीकृति आदेश दिनांक 26.06.2018 में स्पष्ट रूप से छात्रावासों के संचालन से संबंधित करणीय कार्यों को संपन्न करने के लिए निर्देशित किया गया था, परन्तु यह चिन्ता का विषय है कि छात्रावासों के संचालन के लिए पूर्व तैयारी हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध होने के बावजूद अब तक ऐसी स्थिति बनती हुई दृष्टिगत नहीं हो रही है, कि छात्रावास शीघ्र संचालित हो सकें।

जहां तक राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावासों का विषय है, इसके लिए निदेशालय द्वारा किसी प्रकार के निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी, परन्तु इसके बाद भी कारण समझ से परे है कि आदिनांक तक राजकीय छात्रावास भी प्रारम्भ नहीं हो सके हैं।

आप स्वयं विचार करें कि छात्रावास योजना का लाभ यदि निर्धारित समय सारणी के अनुसार अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को नहीं मिलता है, तो इसके लिए कौन और किस स्तर पर कहां तक उत्तरदायी है, का आत्मलोचन करना ही होगा।

अतः निदेशालय द्वारा जारी आदेश/निर्देशों की पालना के लिये जिला अधिकारी अपने स्तर पर इस प्रकार का प्रयोग करने से वंचना करें, जिससे निदेशालय के आदेशों का मूल भाव ही पृष्ठ भूमि में ओझल न हो जाय।

सुनिश्चित करें कि स्वीकृत अनुदानित एवं राजकीय छात्रावासों का संचालन दिनांक 15.08.2018 तक प्रारम्भ हो जायें एवं निदेशालय की ई-मेल आई.डी. [dirminority@gmail.com](mailto:dirminority@gmail.com) पर सूचित करें।

—Sd—

अतिरिक्त निदेशक

जयपुर, दिनांक: 13.8.2018

प.111/नि.अ.मा.वि./अनु.छात्रा./सत्र 2018-19/पार्ट 14835

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साइट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक